प्रति.

संचालक तकनीकी शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, तृतीय एवं चतुर्थ तल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

विषय - सेमिनार, संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं में भाग लेने तथा वित्तीय सहायता हेतु नीति निर्माण के संबंध में अनुरोध| सन्दर्भ –

- 1. आपका पत्र क्र. स्था/३ए/५३५/२०२४/५२०९, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक ०२/१२/२०२४ |
- 2. छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग का पत्र क्र. एफ 1-38/2019/ तक.शि./42, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 08/08/2019 |

संदर्भित पत्र 1 में प्रस्तुत नए गोपनीय प्रतिवेदन (CR) प्रारूप में शोध पत्र, पुस्तक लेखन, पेटेंट, सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशाला, FDP और औधोगिक प्रशिक्षण में भागीदारी को मूल्यांकन का हिस्सा बनाया गया है। यह न केवल संकाय सदस्यों के लिए, बल्कि संस्थान और विद्यार्थियों के लिए भी लाभकारी है तथा इससे शैक्षणिक गुणवत्ता व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

संदर्भित पत्र 2 में उल्लेखित है कि राज्य से बाहर सेमिनार या संगोष्ठी में भाग लेने की अनुमित के लिए आवेदक के पास आमंत्रण पत्र होना चाहिए तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। साथ ही, विभाग इस प्रयोजन हेतु कोई व्यय भार वहन नहीं करेगा एवं अधिकतम 15 दिनों का विशेष कर्तव्य अवकाश ही दिया जा सकता है।

चूँिक उच्च गुणवत्ता वाली अधिकांश कार्यशालाएँ एवं सम्मेलन राज्य से बाहर होते हैं। यदि संकाय सदस्यों को कठोर अनुमति प्रक्रिया व वित्तीय भार उठाने की बाध्यता होगी, तो वे इन शैक्षणिक अवसरों से वंचित रह सकते हैं, जिससे उनके विकास एवं संस्थान की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अवगत होना चाहे किआईआईटी, एनआईटी जैसे संस्थान संकाय सदस्यों के साथ विद्यार्थियों को भी न केवल ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें।

अतः, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है:

- 1. **अनुमति प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए**, ताकि शिक्षकों को समय पर स्वीकृति प्राप्त हो।
- 2. **सरकारी वित्तीय सहायता हेतु स्पष्ट नीति बनाई जाए**, जिससे आर्थिक कठिनाइयों के कारण शिक्षक सेमिनार, संगोष्ठी आदि में भाग लेने से वंचित न रहें।
- 3. विशेष कर्तव्य अवकाश (Special Duty Leave) की अवधि को व्यावहारिक बनाया जाए, ताकि संकाय सदस्य अकादिमक आयोजनों में पर्याप्त समय तक भाग ले सकें।
- 4. **एफडीपी (FDP), ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOCs/NPTEL) एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु नीति बनाई जाए**, ताकि संकाय सदस्य नवीनतम तकनीकों एवं शैक्षणिक नवाचारों से अद्यतन रह सकें और उनका प्रभावी उपयोग शिक्षण में कर सकें।

अतः, आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदुओं पर विचार कर एक स्पष्ट एवं व्यावहारिक नीति का निर्माण किया जाए, जिससे राज्य के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो।